



दूरभाष - 05278-245957  
फैक्स - 05278-248123

# डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक संख्या : लो०अ०वि०/सम्ब०/अनापत्ति/2017/1133

दिनांक : ०१-६-२०१७

## अनापत्ति पत्र

शासनादेश संख्या 2103/सत्तर-2-2012- 2(166)/2012 दिनांक: 09 अगस्त, 2012 एवं शासनादेश सं० 23/2016/772/सत्तर-2-2016-16 (116)/2015टी०सी० II दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के अनुसार स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/परास्नातक स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद की अध्यक्षता में कार्यालय-ज्ञाप संख्या: लो०अ०वि०/सम्ब०/ 2012/5212 दिनांक: 02.09.2012 द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 19.05.2017 में की गयी अनुशंसा के अनुक्रम में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि पूर्व संचालित महाविद्यालय, भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम-सीवार, सोहावल, फैजाबाद को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2017-18 से बी०एस-सी०, बी०एस-सी० गृहविज्ञान, बी०एस-सी० कृषि, बी०लिब, बी०पी०ई० एवं बी०काम० पाठ्यक्रम के शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है। शर्तें एवं विवरण निम्नवत हैं -

1. अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु:-स्नातक।
2. अ-अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय:- विज्ञान, कृषि विज्ञान, कला, शारीरिक शिक्षा, एवं वाणिज्य संकाय।  
ब-अनापत्ति से सम्बन्धित विषय:- स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित एवं बी०एस०सी० गृह विज्ञान, बी०एस०सी०-कृषि, कला संकाय के अन्तर्गत बी०लिब० एवं बी०पी०ई०, वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०काम० पाठ्यक्रम।
3. इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रदान की जाती है कि जिस भूमि पर महाविद्यालय संचालित है उसी भूमि के गाटों पर प्रस्तावित पाठ्यक्रमों/विषयों का संचालन किया जायेगा, यदि महाविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषयों को उक्त भूमि के गाटों के अन्यत्र संचालित किया जाता है तो प्रदत्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। साथ ही सम्बद्धता हेतु अग्रोत्तर कार्यवाही सम्पादित नहीं की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्ययभार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की बचन बद्धता रु० 100/- (रु० एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम संचालक सोसाइटी/महाविद्यालय को इस पत्र के निर्गमन के एक सप्ताह की समयावधि में विश्वविद्यालय में अनिवार्यतः उपलब्ध करानी होगी।
5. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय की सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेगी।
6. पाठ्यक्रम के सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी, जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्या:-3075/सत्तर-2-2002-2 (0166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय-समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
7. संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उ०प्र० शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
8. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकर नहीं होगा।
9. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. यह अनापत्ति वर्तमान अभिलेखों, पत्रजातों एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्ही अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है तो इसके लिये सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी एवं सचिव/प्रबन्धक महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. प्रबन्धक, भवदीय एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट ग्राम-सीवार, सोहावल, फैजाबाद।

कुलसचिव